संशोधन आदेश

संख्या- 38 /2016 / 232 / चार-2016-160 (वि0)/2013

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय ,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित आदि कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1185/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2014-15 दिनांक 16 फरवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-23/2016/148/चार-2016-160(वि0)/2013 दिनांक 09 फरवरी 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-23/2016/148/चार-2016-160(वि0)/2013 दिनांक 09 फरवरी 2016 के प्रस्तर-12 में लेखाशीर्षक में टंकक त्रुटिवंश 04-कला एवं संस्कृति छूट गया है, जिसे अब निम्नवत् पढा जाय:-

" अनुदान संख्या-92- आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद,कला एवं संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय -05-संग्रहालयों की स्थापना -24 वृहद निर्माण कार्य मद पढा जाय।"

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश उक्त इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या -38 /2016 / 232 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5 - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।

6 - परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 वाराणसी।

7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।